राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मनोहरी .... बनाम .... राजस्थान सरकार मु.नं.– 45/25 किस्म – 128 LR Act	
	19.8.25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मण्डावर से जवाब /रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act दिनांक 29.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड़ अधिकारी मंडावर (दौसा) 29.8.25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा. पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
45/2025	16.06.2025	29.08.2025

बउनवान

1. मनोहरी पुत्र फैली, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. करन पुत्र चोथी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. खेमी पुत्र चोथी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. गुड्डी पुत्री उम्मेद, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. गल्ली देवी पत्नी हरीसिंह, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. चन्दर पुत्र चोथी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. पूनी पुत्री उम्मेद, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. पांची पुत्री उम्मेद, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. रूमला पुत्री फैली, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. रामहेत पुत्र चोथी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. लक्ष्मी पुत्री उम्मेद, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. नाबालिग अजय पुत्र चोथी संरक्षक सरपरस्त पिता चोथी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
13. नाबालिग जितेश पुत्र चोथी संरक्षक सरपरस्त पिता चोथी, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
14. गुड्डी पत्नी धनश्याम, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।
2. मुकेश पुत्र कजोड्या, निवासी जटवाडा, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री राहुल गुप्ता।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित आराजीयात खतौनी सं. नई 141 के खसरा सं. 335 रकबा 0.47 हैक्टे., 78 रकबा 0.76 हैक्टे., कुल किता 02, कुल रकबा 1.23 हैक्टे. वाके ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है जो प्रार्थियों के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है जिसको प्रार्थी अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है। विवादित आराजीयात के पड़ोसी काश्तकार अप्रार्थी नं 2 प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं व ख़ेतों के मध्य बनी डोल/मेड को तोड़ते रहते हैं जिससे आये दिन झगड़ा फसाद होते हैं, आये दिन आदमी मरने की सूरत व संगीन वारदात की संभावना हो जाती है। प्रार्थीगण पड़ोसी काश्तकार अप्रार्थी नं 2 से मुकाबला करने में असमर्थ है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अप्रार्थी नंबर 2 को निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने एजेंटों, नौकरो, घरवालों या अन्य मददगारान के विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, बीच में बनी हुयी डोल/मेड को तोड़ने से, प्रार्थीगण को काश्त करने में, उपयोग–उपभोग करने में किसी भी प्रकार की बाधा कारित करने से पाबंद रहे। अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीगण के साथ किए जा रहे अत्याचारों की बाबत प्रार्थी ने दिनांक 01.04.2025 को अप्रार्थी नं 1 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 23.05.2025 को हल्का पटवारी जटवाडा व धौलखेडा के द्वारा मौके पर पहुंच कर विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पड़ोसी काश्तकारान प्रार्थी को आये दिन परेशान करते है। इसलिए उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी व तारबंदी के आदेश प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी पड़ोसी काश्तकार के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.05.2022 के आधार पर पत्थरगढ़ी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि आये दिन होने वाले झगड़ों से मुक्ति मिल सके। दिनांक 23.05.2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के यहां अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी व तारबंदी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। इसलिये प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि उक्त विवादित आराजीयात की सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2025 के अनुसार मौके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढ़ी व तारबंदी किए जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 को आदेशित फरमाया जावे एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी किए जावें तथा अप्रार्थी सं. 2 को पाबंद किया जावे कि वे स्वयं या उनके नौकर, एजेंटों व घरवालो या अन्य मददगारान के विवादित आराजीयात के प्रार्थी के उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करें, खेतों के मध्य बने हुए मेड/डोल आदि की तोड–फोड नहीं करें तथा अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा कायम की जाने वाली पत्थरगढी/निशानात से किसी भी प्रकार की छेडछाड ना करें, ना ही पत्थरों को उखाडे व पाबंद रहे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण तहसीलदार मण्डावर को वास्ते जवाब नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 2 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार मण्डावर ने जवाब दिनांक 14.08.2025 प्रस्तुत किया कि ग्राम जटवाडा के आराजी खसरा सं. 78 रकबा 0.76 हैक्टे., 335 रकबा 0.47 हैक्टे. कुल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टे. प्रार्थीगणों की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण मुकेश पुत्र कजोड्या की सहखातेदारी भूमि प्रार्थीगणों के खसरा नम्बर 335 से लगती हुई है। ग्राम जटवाडा के आराजी खसरा नं 78 एवं 335 का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2025 को गठित राजस्व टीम द्वारा किया जा चुका है।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभापक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 335, 78 के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। उक्त आराजीयात का दिनांक 23.05.2025 को तहसीलदार मण्डावर के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 335, 78 कुल रकबा 1.23 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अभिलेख निरीक्षक उकरूंद को 2000/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात् प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)